80/प्राथना/15

प्रहलाद बनाम पन्नालाल वगैरह

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निर्णय |
| --- | --- |
| 14-12-22 | पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस प्रार्थना-पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी ख.न. 16 रकबा 0.05 हैक्टर ख.न. 17/1 रकबा 0.12 हैक्टर ग्राम खानपुर तहसील डूंगला में स्थित है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी की कब्जेशुदा खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण पारिवारिक द्वेषता रखते हैं तथा ताकत के बल पर उक्त कृषि भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है यदि अप्रार्थीगण कब्जा करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। और अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे।<br><br>अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि पारिवारिक बटवारे अनुसार मौके पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है। प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा की आड़ में मौके से कब्जा हटाना चाहता है इसलिए प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार नहीं है और निवेदन किया कि मौके पर कब्जा नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज करवाया जावे। अपने कथन के समर्थन पूर्व-न्यायिक दृष्टान्त RRT 2011(2) पेज 1419 RRT 2012(2) पेज 921, RRD 1989 पेज 753 पेश किये।<br><br>उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किये जाने पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थी रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थी का मौके पर कब्जा होना अथवा नहीं होना सम्बन्धी निर्धारण वाद में होगा। मौके पर विवाद होना स्पष्ट है, अतः वाद बाहुल्यता को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष को पाबन्द किया जाना उचित समझते है। |

| | | |
|---|---|---|
| | अतः उभयपक्ष को तारीख मुलतवी तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी खसरा नं. 16 रकबा 0.05 हैक्टेयर ख.नं. 17/1 रकबा 0.12 है. वाके ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित खातेदारी आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली कौसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।<br><br>(signature)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>लाखेरी (बून्दी) | हुक्म की तामील में जारी हुए |